

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरूप या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

(मैनुअल-8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

प्रश्नगत अवधि में इस सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं है।

